२१.२.२५ पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं है। सरकारी अभिभाषक उपस्थित।

अपीलार्थी व उसके अभिभाषक को २-३ बार आवाज दिलाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। अदालत समय समाप्ति से पूर्व पुनः अपीलार्थी व उसके अभिभाषक को आवाज दिलाई गई लेकिन किसी की उपस्थिति नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी अपीलार्थी के खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा